

भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के वर्तमान मुद्दे*

श्री शक्तिकान्त दास

फाइनेंशियल एक्सप्रेस मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में पुनः आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुझे याद है कि मैंने इस शिखर सम्मेलन के जून 2022 संस्करण में भाग लिया था, जहाँ मैंने 'वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन और अवसर' पर बात की थी। उस समय व्यापक आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत अलग और चुनौतीपूर्ण थीं, क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से उबर ही रही थी कि यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति में आए उछाल से जूझना पड़ा। तब से हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भारत मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे और स्वस्थ और लचीले वित्तीय क्षेत्र के साथ तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।

आज के शिखर सम्मेलन का विषय "समावेशी विकास को समझना" (डी-कोडिंग इनक्लूजिव ग्रोथ) आने वाले दशक और उसके बाद के दौरान समावेशिता के साथ उच्च विकास की हमारी संयुक्त आकांक्षाओं को सटीक रूप से दर्शाता है। वित्तीय क्षेत्र इस आकांक्षा को साकार करने के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक है। भारत के पास मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक विन्यास, अनुकूल जनसांख्यिकी और डिजिटलीकरण की महत्वपूर्ण गति है जिससे भारतीय वित्तीय क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। बैंकों और एनबीएफसी के हालिया वार्षिक वित्तीय परिणामों से संकेत मिलता है कि वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ और लचीली बनी हुई है।¹ इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट² से पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र दबाव परिदृश्यों में भी लचीला बना रहेगा।

* फाइनेंशियल एक्सप्रेस मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन, मुंबई में 19 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण।

¹ आस्ति गुणवत्ता में सुधार, खराब ऋणों के संबंध में बेहतर बनाए गए प्रावधान, निरंतर पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि द्वारा समर्थित। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (जीएनपीए) अब उल्लेखनीय रूप से 2.8 प्रतिशत के बहु-वर्षीय निम्न स्तर पर हैं और एनबीएफसी की मार्च 2024 के अंत तक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ 4 प्रतिशत से नीचे हैं। समाधान के तहत एनबीएफसी को छोड़कर एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात 3 प्रतिशत से कम है।

² वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (आरबीआई), जून 2024

बाजार की गतिशीलता के संदर्भ में बात करें तो भारत में वित्तीय परिदृश्य एक बुनियादी परिवर्तन से गुजर रहा है, जो प्रौद्योगिकी में नवाचारों, वित्तीय पहुंच और बचत और निवेश प्रकारों में बदलाव आदि जैसे कारकों से प्रेरित है। इनमें से प्रत्येक बदलाव का असर इस बात पर निर्भर करता है कि वित्तीय संस्थाएँ अपना व्यवसाय कैसे करती हैं और उभरते जोखिमों का सामना कैसे करती हैं।

नई और उभरती प्रौद्योगिकियों ने अभिनव समाधान और कार्य विशिष्ट उत्पाद लाकर वित्तीय सेवा उद्योग को नया रूप दिया है। मांग-पक्ष के घटक, जैसे कि डिजिटल सेवाओं के संबंध में बढ़ती ग्राहक अपेक्षाएँ और विनियामक समर्थन और फिनटेक के उद्भव से संबंधित आपूर्ति-पक्ष घटक बाधा रहित ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक यूनाइटेड पेमेंट इंटरफ़ेस (यूपीआई), विनियामक सैंडबॉक्स, सह-उधार मॉडल, खाता एग्रीगेटर ढाँचा आदि जैसे तंत्रों की परिकल्पना करके नवाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। मोबाइल फ़ोन की पहुँच, इंटरनेट की उपलब्धता, संशोधित भुगतान प्रणाली और ग्राहक डेटा बिंदुओं की बहुलता के संयुक्त बल से ऋण देने वाली संस्थाएँ और वित्तीय बाजार ऐसे तंत्रों का लाभ उठाने में सक्षम हुए हैं, जिससे वे लक्षित क्षेत्रों तक अपनी पहुँच और वित्तीय क्षेत्र के अधिक समावेशी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे।

कुल मिलाकर, पिछले दशक में प्रौद्योगिकीय नवाचारों, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और वैकल्पिक व्यवसाय मॉडल के उद्भव के कारण बैंकिंग और वित्तीय परिदृश्य में परिवर्तन हुआ है। हालांकि इनसे प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा मिला है, वहीं इनका उपभोक्ता विश्वास और विनियामक निगरानी पर भी प्रभाव पड़ा है। इस तरह के बुनियादी परिवर्तन अवसरों के साथ-साथ चुनौतियाँ भी पैदा करते हैं। बैंकों, एनबीएफसी और ऐसे अन्य वित्तीय संस्थानों को चाहिए कि वे अपने व्यवसाय मॉडल, लचीलेपन और स्थिरता के संबंध में इन परिवर्तनों के प्रभाव का सावधानीपूर्वक आकलन करें।

जैसा कि वाल्टर बेजहोट ने कहा है: "एडवेंचर इस दी लाइफ ऑफ कॉमर्स, बट कॉशन....., इस दी लाइफ ऑफ बैंकिंग" (साहस

वाणिज्य का जीवन है, लेकिन सावधानी, ..., बैंकिंग का जीवन है)।³ ये शब्द आज भी प्रासंगिक हैं। मैंने विभिन्न मंचों पर कहा है, अच्छे समय में अक्सर आत्मसंतुष्टि और कमजोरी के बीज बोए जाते हैं। आज अपने संबोधन में, मैं कुछ वर्तमान मुद्दों और उभरते जोखिमों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिन पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे नौ मुद्दे हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ।

I. ऋण और जमा में वृद्धि

सबसे पहले मैं ऋण और जमा वृद्धि दरों के बीच मौजूदा अंतर पर बात करना चाहूँगा। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि दोनों के बीच हमेशा कुछ अंतर रहेगा, लेकिन ऋण वृद्धि को जमा वृद्धि से बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। खासकर तब, जब बैंकों को सीआरआर, एसएलआर, एलसीआर आदि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बेशक, यह मानी हुई बात है कि लगभग हर ऋण उधारकर्ता के नाम पर एक नई जमा राशि दर्शाता है या उसके खाते की शेष राशि में वृद्धि करता है। दूसरे शब्दों में, बैंकिंग प्रणाली में पैसा ही पैसे को जन्म देता है। लेकिन मूल बात यह है कि ऋण और जमा वृद्धि के बीच एक उचित संतुलन होना चाहिए।

जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ऋण वृद्धि की तुलना में जमा वृद्धि पिछले कुछ समय से पिछड़ रही है। इससे प्रणाली को संरचनात्मक चलनिधि के मामले में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बात पर बहस हो सकती है कि 'जमा राशि ऋण को वित्तपोषित करती है' या 'ऋण जमा राशि को वित्तपोषित करता है', लेकिन वर्तमान विनियामक चिंता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि ऐसी स्थिति से बुनियादी परिवर्तन हो सकते हैं जिन्हें बैंकों को पहचानने और तदनुसार अपनी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। परिवार और उपभोक्ता जो परंपरागत रूप से अपनी बचत को जमा करने या निवेश करने के लिए बैंकों पर निर्भर थे, वे तेजी से पूंजी बाजार और अन्य वित्तीय मध्यस्थों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि परिवारों की बैंक जमा राशि वित्तीय आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभी भी प्रमुख बनी हुई है, अपनी

³ लोम्बार्ड स्ट्रीट: ए डिस्क्रिप्शन ऑफ दी मनी मार्केट बाय वॉल्टर बेजहोट, तीसरा संस्करण, 1873, ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ लिबर्टी

बचत को म्यूचुअल फंड, बीमा फंड और पेंशन फंड में आवंटित करने के कारण उनकी यह हिस्सेदारी घट रही है। स्पष्ट रूप से कहें तो परिवार बैंकों के बजाय अपनी बचत को निवेश करने के लिए अन्य तरीकों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं।

अपनी ओर से बैंकों ने अल्पकालिक उधार, जमा प्रमाणपत्र आदि जैसे अन्य स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाकर ऋण-जमा अंतर को भरने की कोशिश की है। इससे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं। चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियों⁴ के संबंध में उन्हें कहीं जमा करने की प्राथमिकता में बदलाव के कई परिणाम हो सकते हैं जिन्हें बैंकों को ध्यान में रखना चाहिए। ऋण वृद्धि में मजबूती को देखते हुए बैंकों को अपने ऋण हामीदारी मानकों और जोखिमों के मूल्य निर्धारण में सुधार और परिशोधन पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

II. चलनिधि और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन

कुछ उन्नत क्षेत्राधिकारों में 2023 में आए बैंकिंग संकट ने कुछ व्यावसायिक मॉडलों और उनकी अंतर्निहित कमजोरियों को बैंकिंग स्थिरता के लिए जोखिम की दृष्टि से उजागर किया।

इन घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर बासेल III चलनिधि मानकों, जमा बीमा और समाधान साधनों के स्वरूप और मापन प्रक्रिया पर बहस और पुनर्विचार को भी जन्म दिया है।⁵ इसलिए, यह जरूरी है कि हमारे बैंक सक्रिय रूप से विवेकपूर्ण चलनिधि प्रबंधन उपाय लागू करें। यह ध्यान में रखना होगा कि चल आस्तियों का गलत मूल्यांकन अल्पकालिक चलनिधि लचीलेपन की गलत धारणा दे सकता है, जो नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक, अपनी ओर से इन उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे की समीक्षा कर रहा है। इसे विस्तृत सार्वजनिक और हितधारक परामर्श के बाद किया जाएगा।

⁴ एससीबी की कुल जमाराशियों में सीएएसए की हिस्सेदारी मार्च 2022 के 43.66 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 39 प्रतिशत हो गई है।

⁵ 'रिपोर्ट ऑन दी 2023 बैंकिंग टर्मिडल', बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस), अक्टूबर 2023 और 'बैंक विफलताओं के समाधान के लिए सीखें गए प्रारंभिक सबक', वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), अक्टूबर 2023।

ब्याज दर जोखिम बैंकिंग व्यवसाय में निहित है। पिछले साल कुछ देशों में आए बैंकिंग संकट ने भी बैंकिंग बहीखाते में ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के महत्व को उजागर किया है⁶। बैंकों के बहीखाते ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंकों को अपने व्यवसाय मॉडल, जोखिम प्रोफ़ाइल, आय और पूंजी स्तर, जटिलता और परिचालन के दायरे के अनुरूप प्रक्रियाओं और प्रणालियों का उपयोग करके अपने ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

III. साइबर सुरक्षा और आईटी से संबंधित जोखिम

बढ़ते प्रौद्योगिकीय पदचिह्न और तेजी से होते जा रहे डिजिटलीकरण के युग में यह महत्वपूर्ण है कि साइबर सुरक्षा और आईटी जोखिमों के प्रबंधन पर उचित जोर दिया जाए। वैश्विक स्तर पर, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की आईटी प्रणालियों पर साइबर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा आईटी प्रणालियों की उच्चतम स्तर की निगरानी और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन व्यवस्था में सुधार; प्रौद्योगिकी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे को अधिक लचीला बनाने; और तीसरे पक्ष के जोखिमों को कम करने के महत्व पर जोर देते हैं। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रौद्योगिकी में लगातार निवेश करने की आवश्यकता है और साथ ही इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए सही तरह की क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है।

IV. डिजिटल धोखाधड़ी

डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि भी चिंता का एक अन्य विषय है। हालांकि इस तरह की कई धोखाधड़ी ग्राहकों पर

⁶ बैंकिंग बही में सभी वित्तीय साधन शामिल हैं, सिवाय उन उपकरणों के जो "ट्रेडिंग के लिए धारित" के रूप में वर्गीकृत होने के कारण ट्रेडिंग बही का हिस्सा हैं। ट्रेडिंग बही में ब्याज दर जोखिम को बाजार जोखिम ढांचे के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जो उसके स्वरूप के अनुसार बहुत सूक्ष्म है, जबकि बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की स्थिति इसके विपरीत है जहां उसे अलग से देखा जाता है। हालांकि इस अलग-अलग दृष्टिकोण के लिए एक विवेकपूर्ण तर्क है, फिर भी पिछले साल बैंकिंग उथल-पुथल ने यह उजागर किया कि ब्याज दर जोखिम के कुप्रबंधन ने एक विशिष्ट बैंक की विफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वह कथित तौर पर परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत वर्गीकृत अपनी दीर्घकालिक निश्चित ब्याज दर प्रतिभूतियों पर बढ़ते ब्याज दर जोखिम को प्रबंधित करने में विफल रहा।

विभिन्न सामाजिक इंजीनियरिंग हमलों के कारण होती हैं, लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए म्यूल बैंक खातों के इस्तेमाल में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इससे बैंकों को न केवल गंभीर वित्तीय और परिचालन जोखिम, बल्कि प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम भी झेलना पड़ता है। इसलिए, बैंकों को संदिग्ध और असामान्य लेनदेन सहित अनैतिक गतिविधियों की निगरानी के लिए अपने ग्राहक ऑनबोर्डिंग और लेनदेन निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए विधि प्रवर्तन संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय की भी आवश्यकता है।

V. तृतीय पक्ष जोखिम

वर्तमान कारोबारी माहौल में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए कुछ कार्यों को तृतीय पक्षों को आउटसोर्स करना आवश्यक हो गया है। ऐसा करते समय, उन आउटसोर्स गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और ध्यान रखना आवश्यक है। विनियमन में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि किसी विनियमित इकाई द्वारा किसी भी गतिविधि को आउटसोर्स करने से उसके अपने दायित्व कम नहीं होते हैं। बैंकों और एनबीएफसी को यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या लागत कम करने की रणनीतियाँ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी तृतीय पक्ष वेंडरों पर, बिना किसी उचित निगरानी के, अत्यधिक निर्भरता की ओर ले जा रही हैं। हमने इसके कुछ उदाहरण देखे हैं और इससे निपटा है। आईटी और गैर-आईटी सेवाओं, दोनों के लिए तृतीय पक्ष संबंधों के संबंध में मजबूत अभिशासन और निगरानी तंत्र किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए सुदृढ़ीकरण के आवश्यक घटक हैं। आउटसोर्स एजेंसी के साथ तय बातों में ऐसे संबंधों में दोनों पक्षों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने पहले ही आईटी आउटसोर्सिंग⁷ पर दिशानिर्देश और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मसौदा निदेश⁸ जारी किए हैं।

⁷ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश, अप्रैल 2023।

⁸ वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मसौदा मास्टर निदेश, अक्टूबर 2023।

VI. अरक्षित खुदरा ऋण संबंधी मुद्दे

समग्र बैंक ऋण में खुदरा पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी में वृद्धि हाल की प्रणालीगत प्रवृत्ति है। जैसा कि आप जानते होंगे, रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2023 में कुछ पूर्व-निवारक उपाय किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन खंडों में वृद्धि बड़े रूप में अत्यधिक जोखिम निर्माण की ओर न ले जाए। इन उपायों से लक्षित खंडों में कुछ हद तक नियंत्रण की स्थिति बनी है, जैसा कि हमारी हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में देखा गया है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि छोटी राशि वाले उपभोक्ता ऋणों में चूक के स्तर और लीवरेज पर अधिक निगरानी की आवश्यकता है। अरक्षित ऋणों पर सीमा तय करने जैसे मामले बैंकों और एनबीएफसी के बोर्ड पर छोड़ दिए गए हैं। हमारी पर्यवेक्षी टीमों ने देखा है कि कुछ संस्थाओं ने बहुत ऊँची सीमाएँ तय कर दी हैं, जबकि इस क्षेत्र में उन्होंने पहले ही अधिक ऋण दिया हुआ था। हालाँकि हमारा इरादा ऐसे मामलों में निर्देशात्मक होने का नहीं है, लेकिन बैंकों और एनबीएफसी से विवेक दिखाने और अतिशयता से बचने की अपेक्षा की जाती है।

VII. आचरण से संबंधित मुद्दे

उचित आचरण केवल एक विनियामक आवश्यकता नहीं है बल्कि यह व्यवसाय की एक मुख्य आवश्यकता भी है। मैं उचित आचरण के इस मुद्दे पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि आचरण जोखिम तब भी उत्पन्न हो सकते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जैसा कि अभी चल रहा है। आचरण जोखिम को जोखिम संस्कृति के साथ देखा जाना चाहिए। उचित आचरण और प्रथा वित्तीय संस्थानों में उपभोक्ता विश्वास और लोक विश्वास को बढ़ावा देते हैं और उनकी स्थिरता को मजबूत करते हैं। रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं द्वारा उचित और जिम्मेदार आचरण सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विनियम जारी किए हैं। हाल के दिनों में मुख्य तथ्य विवरण (की-फैक्ट्स स्टेटमेंट्स, केएफएस); ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क; ईएमआई आधारित व्यक्तिगत ऋणों में फ्लोटिंग ब्याज दर को फिर से निर्धारित करने; और ऋण खातों के पुनर्भुगतान या निपटान पर चल या अचल आस्ति के दस्तावेजों को लौटाने पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। हम अभी भी विनियमित संस्थाओं द्वारा मनमानी वसूली प्रथाओं का सहारा लेने; महत्वपूर्ण शर्तों के अपर्याप्त प्रकटीकरण या शुल्कों के गैर-

प्रकटीकरण के साथ गैर-पारदर्शी ऋण अनुबंध तैयार करने; विशेष रूप से सूक्ष्म वित्त ऋणों में अत्यधिक ब्याज दरें लगाने आदि के उदाहरण देखते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर हाल के वर्षों में अभिशासन, आश्वासन कार्यों की गुणवत्ता और उचित आचरण दिशानिर्देशों के पालन में काफी सुधार हुआ है। मैंने यहाँ जिन चिंताओं पर प्रकाश डाला है, वे रिज़र्व बैंक की कुछ विनियमित संस्थाओं से संबंधित हैं। ये प्रणालीव्याप्त मुद्दे नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से अपवादस्वरूप मामले हैं।

कभी-कभी अल्पकालिक लाभ की तलाश में आचरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए कुछ विनियमित संस्थाओं द्वारा बहुत अधिक ब्याज दर वसूलना उचित नहीं है। मैं 7 जून 2024 को अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में कही गई बात को दोहराना चाहूँगा कि विनियमित संस्थाओं को छोटे मूल्य के ऋणों के उचित और पारदर्शी मूल्य निर्धारण को बनाए रखने के लिए अपनी विनियामक स्वतंत्रता का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। माइक्रोफाइनेंस ऋण के तहत अनुचित या सूदखोरी हमें मार्च 2022 में जारी माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य करेगी।

VIII. संक्रमणकालीन वित्तपोषण

जलवायु परिवर्तन आर्थिक विकास के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है, और इसके लिए सभी मोर्चों पर तत्काल और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर और भारत में हाल ही में हुई चरम मौसम की घटनाएँ जैसे कि गर्मी की लहरें, सूखा, बाढ़ और जंगल की आग इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि हमें निर्णायक कार्रवाई करनी होगी।

रिज़र्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन से वित्तीय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। जबसे हमने यह यात्रा शुरू की है, तब से कई पहल की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सॉवरन ग्रीन बॉन्ड के लिए रूपरेखा जारी करना; ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति; और जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के लिए प्रकटीकरण रूपरेखा का मसौदा जारी करना शामिल है⁹। आगे की ओर देखें तो हमारा व्यापक दृष्टिकोण

⁹ जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर मसौदा प्रकटीकरण ढांचा, 2024।

पूरे ऋण पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र बिंदु के रूप में 'स्थिरता संबंधी पहलुओं' पर विचार करना होगा। तथापि, स्थिरता पहलों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अंततः विनियमित संस्थाओं की ही रहेगी। जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए कदम उठाते हुए जलवायु कार्रवाई में इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें अभिनव संक्रमण वित्तपोषण मॉडल तलाशने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें संबंधित जोखिमों और ग्रीनवाशिंग संबंधी चिंताओं के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा, विनियमित संस्थाएँ अपने उधारकर्ताओं, जो इस तरह के संक्रमण को अपना सकते हैं, के व्यवसाय मॉडल में जोखिमों और संभावित परिवर्तनों के लिए तैयार रहने के लिए "संक्रमण योजना"¹⁰ शुरू कर सकती हैं।

IX. निजी ऋण बाजार

पूंजी जुटाने के एक पसंदीदा वैकल्पिक तरीके के रूप में निजी ऋण तेजी से बढ़ रहा है। यह उच्च जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश मार्ग के रूप में उभर रहा है। हो सकता है कि ये बाजार विनियमित वित्तीय बाजारों और संस्थानों के बाहर वित्तपोषण का एक बड़ा माध्यम प्रदान करके आर्थिक लाभ देते हों और वर्तमान में उनके जोखिम नियंत्रित प्रतीत होते हों, लेकिन यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि इन बाजारों की कोई चूक और

परस्पर जुड़ाव नुकसान करने वाले आघातों को बढ़ा सकते हैं और वित्तीय स्थिरता की चिंता पैदा कर सकते हैं। हम इस तरह के घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहे हैं और इस संबंध में सुझावों और सोच का स्वागत करते हैं।

निष्कर्ष

अंत में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भारत को आर्थिक विकास के अगले चरण में ले जाने में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकों और एनबीएफसी जैसी रिजर्व बैंक की विनियमित संस्थाएं पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के मामले में आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाते हुए, अभिशासन और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वित्तीय क्षेत्र की क्षमता और सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है और उसे हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने योग्य बनाया जा सकता है। हालांकि बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।

इन शब्दों के साथ, मैं आयोजकों को मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ और शिखर सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद।

¹⁰ यह एक वित्तीय संस्थान द्वारा की जाने वाली आंतरिक रणनीतिक योजना और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है।